सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 512/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 23 नवम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- सिधारी

स्वयं गोली चलाकर पुलिस को झूठी सूचना देकर गुमराह करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अवैध पिस्टल व 01 कारतूस बरामद

दिनांक- 22.11.2020 को थाना सिधारी के ग्राम सरायधन्नी में एक सूचना वायरल हुई कि बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचकर जाँच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि बबलू यादव उर्फ कमलदेव यादव अपने दरवाजे पर अपने अवैध पिस्टल की सफाई कर रहा था कि उसी पिस्टल से फायर हो गया था जिससे उसके हाथ पैर में गोली लग गयी है दवा ईलाज कराकर अपने घर आ गया है। बबलू यादव का भाई कमलाकान्त यादव उर्फ डबलू भी अवैध पिस्टल लिया था जो अभी अपने घर से अपने अवैध पिस्टल को लेकर बाहर भागने के फिराक में है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अभियान मे अवैध कट्टा रखने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय** व **क्षेत्राधिकारी नगर महोदय डा0 राजेश कुमार** के कुशल निर्देशन में **प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र** मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान होकर हुसेनगंज तिराहा पर मामूर थे कि सूचना मिली कि ग्राम सरायधन्नी मे गोली चली है। तत्पश्चात चारो तरफ नाकाबन्दी करते हुये पुलिस फोर्स के साथ मौके पर रवाना हुए। तो जांच से पता चला की दो व्यक्ति स्वय ही गोली चलाकर पुलिस को झूठी सूचना दे रहे है कि किसी ने गोली चलाकर भाग गया। कमलदेव यादव उर्फ बब्लू के दाहिने हाथेली व बायें जंघे पर अस्पताली पट्टी बधीं हुई। कमलदेव यादव उर्फ बब्लू व कमलाकान्त यादव उर्फ डब्लू को पुलिस हिरासत मे लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त गण कमलदेव यादव उर्फ बब्लू व कमलाकान्त यादव उर्फ डब्लू पुत्रगण राजाराम यादव से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि साहब हम लोग कल शादी के मौके पर फायर करने के लिये कट्टा को अपने दरवाजे पर साफ सफाई कर रहे थे तो **बबलू यादव उर्फ कमलदेव यादव से** उसी पिस्टल से फायर हो गया था जिससे उसके हाथ पैर में गोली लग गयी है दवा ईलाज कराकर अपने घर आ गया थे। और पुलिस से बचने के लिये झूठी सूचना दे रहे थे।

बरामदगी

1. 02 अदद पिस्टल .32 बोर
2. 01 अदद कारतूस .32 बोर

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0स0 212/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

2. मु0अ0स0 213/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवं 211 भा0द0वि0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. कमलदेव यादव उर्फ बब्लू पुत्र राजाराम यादव सा0 सरायधन्नी थाना सिधारी आजमगढ़
2. कमलाकान्त यादव उर्फ डब्लू पुत्र राजाराम यादव सा0 सरायधन्नी थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह

2. उ0नि0 दिग्विजय नाथ तिवारीथाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह